म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी–6/नियमन/नगद भुगतान/369/2027 भोपाल,दिनांक 11/06/2019

प्रति,

1 संयुक्त/उप संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/सागर/रीवा।

2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)

विषयः– कृषको को 2 लाख रूपये तक नगद भुगतान को लेकर बन्द मण्डियो के संबंध मे।

सन्दर्भः– कार्यालयीन पत्र कमांक /बोर्ड/नियमन/2019–20/1957 दि 22/05/2019।

विषयांन्तर्गत सन्दर्भित पत्र से मण्डियो मे किसानो द्वारा विकय की गई कृषि उपज का रूपये 2 लाख तक (अधिकतम रूपये 1,99,999/–) नगद मे भुगतान अनिवार्यतः किये जाने के विस्तृत निर्देश जारी किये गये है।

प्रदेश की कतिपय मण्डियो मे व्यापारियो द्वारा कृषको की उपज का उक्तानुसार उपज का भुगतान नही किया जाकर मण्डी मे कय को बाधित करने तथा मण्डियो को बन्द करने की सूचना प्राप्त हुई है।

यह संज्ञान मे आया है कि अनेक व्यापारियो द्वारा आयकर अधिनियम आड लेकर नगद भुगतान न कर किसानो से उधारी की जाती है और इस बीच मे उनके द्वारा कय उपज आगे बेच दी जाती है। मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2) के प्रावधान अनुसार किसानो को उसी दिन भुगतान मण्डी प्रांगण मे कराया जाना है। कृषि उपज के अनुज्ञा पत्र जारी करने के पूर्व कृषको का भुगतान एवं देय मण्डी शुल्क एवं निराश्रित सहायता राशि का भुगतान प्राप्त होना सुनिश्चित होना चाहिए।

उक्त प्रावधानो एवं निर्देशो का अवहेलना करना मण्डी अनुज्ञप्ति की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही मण्डी अधिनियम की धारा 33(1)(ग) के प्रावधानानुसार अनुज्ञप्ति धारको द्वारा साथ मिलकर अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मण्डी प्रांगण/प्रांगणो मे जानबूझकर बाधित करने, निलंबित करने या रोकने के आशय से किया गया कोई कार्य अनुज्ञप्ति रद्द करने या निलंबित करने की परिधि आता है।

अतः ऐसे मण्डी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी जो नगद भुगतान करने के निर्देशो की अवहेलना करते हुये मण्डी मे अधिसूचित कृषि उपज के विपणन कार्य को बाधित करने मे संलग्न है। उनकी प्रथमतः कृषि उपज की जावक (अनुज्ञा) रोकते हुंये नियमानुसार अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल।

क./बी–6/नियमन/नगद भुगतान/369/2028 भोपाल,दिनांक 11/06/2019

प्रतिलिपिः–

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2 अपर संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

11/6/19

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल।